

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

ओमप्रकाश बनाम मैकविट्टे

क्रिसम मुकदमा ..... पत्रा-पत्र-111-128 ..... नं. 40 ..... सन 2022

दिनांक

हुकम या कार्यवाही नय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

4-3-22

वाद / प्राथनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर  
विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 29/3/22 को  
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक क्लर्क माण्डल

29<sup>3</sup>/<sub>22</sub>

पत्रावली पेश हुई वकील प्राथी उपस्थित, अप्राथीगण  
के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल  
पत्रावली किये गये। तदुपलक्ष्य मोडल से मौका दिवस  
प्राप्त हुई जिले शामिल पत्रावली किये गये। वकील  
प्राथी ने बहल करनी चाही। बहल सुनी गयी। वकील  
प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पुस्तक  
से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली  
फैलल शुमार होकर अन्तर से क्रम है।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी--डॉ. पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 40/2022

1- श्री ओमप्रकाश पुत्र मोहन लाल दमासी नि. घोडास तहसील माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री बैरुसिंह पुत्र शरुसिंह शम्भुत नि. घोडास तहसील माण्डल वर्ग.

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 29-03-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....घोडास.....पटवार हल्का.....घोडास.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं.1242, 1312, 690, 1242 कुल किता.....07 रकबा 0.885 हे. बीघा.....बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगडी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04/03/2022 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगडी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी हान का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....घोडास.....पटवार हल्का.....घोडास.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.1242, 1312, 690, 1242 कुल किता.....07 रकबा 0.885 हे. बीघा.....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगडी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगडी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....पीथास को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगडी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगडी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगडी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल भीलवाडा